न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 27/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए. यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. नितेश चौधरी पुत्र शिशु पाल सिंह, निवासी मकान नम्बर–06, शांति नगर, देवीपुरा, सीकर। ऋणी
2. मै. संदेश स्कीन एण्ड हेयर केयर प्रो. नितेश चौधरी पुत्र शिशु पाल सिंह, निवासी एस के टी एफ–03, बॉयोस्कोप, रानी सती रोड़, सीकर। सहऋणी
3. शशी प्रभा पत्नी शिशु पाल सिंह, निवासी मकान नम्बर–06, शांति नगर, देवीपुरा, सीकर। सहऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 17 अप्रैल, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विनोद खाण्डल** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **नितेश चौधरी, मै. सदेश स्कीन एण्ड हेयर केयर, शशी प्रभा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **यूनिट न. एसकेटीएफ –01, सिनेमाल, रानी सती रोड़, सीकर में स्थित है, जिसका क्षैत्रफल 2454 वर्गफीट/सुपर बिल्टअप एरिया 3460 वर्गफीट है, जो कि नितेश चौधरी पुत्र शिशुपाल सिंह के नाम से है, जिसके पूर्व में पूर्व बिल्डिंग, पश्चिम में कॉमन एरिया, उत्तर में बिल्डिंग की फंट वाल, दक्षिण में सिढ़ियां/ओडिटोरियम है,** को बंधक रखकर **2,10,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **दौ करोड़ दस लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **01.12.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने Th securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement o

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **01.12.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **नितेश चौधरी, मै. सदेश स्कीन एण्ड हेयर केयर, शशी प्रभा** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **यूनिट न. एसकेटीएफ –01, सिनेमाल, रानी सती रोड़, सीकर में स्थित है, जिसका क्षैत्रफल 2454 वर्गफीट / सुपर बिल्टअप एरिया 3460 वर्गफीट है, जो कि नितेश चौधरी पुत्र शिशुपाल सिंह के नाम से है, जिसके पूर्व में पूर्व बिल्डिंग, पश्चिम में कॉमन एरिया, उत्तर में बिल्डिंग की फ्रंट वाल, दक्षिण में सिढ़ियां / ओडिटोरियम है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 17 **अप्रैल, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner